



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272715
CG-DL-E-19052026-272715

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948

No. 340]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 मई, 2026

सा.का.नि. 375(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 330(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में,—

(i) पृष्ठ 6, पंक्ति 21 में, स्तंभ (3) में, “अंतःस्थापित” के स्थान पर “प्रतिस्थापित” पढ़ा जाए;

(ii) पृष्ठ 6, पंक्ति 32 में, स्तंभ (3) में, “2202 91 29” के स्थान पर “2202 99 29” पढ़ा जाए;

(iii) पृष्ठ 32 पर, पंक्ति 25 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"24.	अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,	उक्त अधिसूचना में, तालिका I में,- (i) क्रमांक 110क के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर “2841 90” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
------	--	---

खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के अंतर्गत प्रकाशित।	(ii) क्रमांक 110ख के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर "2841 90" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।"
--	--

[फा. सं. 190341/139/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 19th May, 2026

G.S.R. 375(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2026-Customs, dated the 30th April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 330 (E), dated the 30th April, 2026,—

- (1) at page 40, in line 15, in column (3), *for* "inserted" *read* "substituted";
- (2) at page 40, in line 26, in column (3), *for* "2202 91 29" *read* "2202 99 29";
- (3) at page 57, after line 25, the following entry shall be inserted, namely:-

"24.	Notification No. 45/2025-Customs, dated the 24 th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> G.S.R. 781(E), dated the 24 th October, 2025	In the said notification, in TABLE I,- (i) against S. No. 110A, for the entry in column (2), the entry "2841 90" shall be substituted; (ii) against S. No. 110B, for the entry in column (2), the entry "2841 90" shall be substituted."
------	--	--

[F. No. 190341/139/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.